

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

प्रेस विज्ञप्ति

उपाध्यक्ष महोदय के निर्देश के क्रम में आज दिनांक 07.10.2016 को जोनल अधिकारी पी0एन0 यादव के नेतृत्व में जोन संख्या-05 (झूंसी) में अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध व्यापक कार्यवाही की गयी जिसमें चार बड़े अनधिकृत निर्माण सहित अन्दावा के पास एक गेस्ट हाउस/बारात घर (कुम्भ कलश) को सील किया गया। जो निम्नवत है:-

1. कुम्भ कलश गेस्ट हाउस/बारात घर अन्दावा राम बाबू सिंह पुत्र श्री बेला सिंह।
2. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री किशोरी लाल केशरवानी चमनगंज झूंसी।
3. श्रीमती नीलू शुक्ला पत्नी श्री अरविन्द कुमार लेखराजपुर, झूंसी।
4. श्री शिव नारायण चौरसिया लेखराजपुर, झूंसी।

उपरोक्त निर्माणों को सील करने के अतिरिक्त कई स्थलों से अनधिकृत निर्माण सामग्री व निर्माणकर्ताओं को हटाते हुए मानचित्र स्वीकृति उपरान्त ही नियमानुसार निर्माण करने की सख्त चेतावनी दी गई।

उक्त कार्यवाही के दौरान जोनल अधिकारी के अतिरिक्त क्षेत्रीय अवर अभियन्ता श्री अशोक कुमार सिंह व भवन निरीक्षक श्री कुंवर आनन्द व प्रवर्तन दल/पुलिस दल उपस्थित रहे।

(गुडाकेश शर्मा)
सचिव/अपर सचिव

प्रतिलिपि: सम्पादक समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।


सचिव/अपर सचिव

